



भारत सरकार
कार्यालय, आयकर आयुक्त,
जयपुर-द्वितीय, जयपुर

स्थाई खाता संख्या:-AACAA9838K

दिनांक- 12.03.2014

आदेश:-

विषय:-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12अअ के अधीन पंजीकरण-
(एस्पायर) ए सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ इन्क्लूसिव एण्ड रिलेवेन्ट
एजुकेशन, 5-ए, प्लाट नम्बर - 12, इन्दिरा नगर, गोपालपुरा मोड, जयपुर।

संस्था ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12अअ के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन, निर्धारित प्रारूप, फार्म संख्या 10अ में भरकर दिनांक 03.02.2014 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट को देखते हुए और संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस संस्था को धारा 12अअ के तहत पंजीकरण हेतु उपयुक्त माना जाता है। अतः संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12अअ के तहत पंजीकृत किया जाता है। यह पंजीकरण निर्धारण वर्ष 2014-15 से मान्य होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा 12अअ के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्र पजिका में क्रमांक 84/15 पर दर्ज कर लिया गया है।



-ह0-


(डी डी गोयल)
आयकर आयुक्त, जयपुर द्वितीय,
जयपुर।

क्र:आ0आ0/जय-11/आ0आ0(त0 एवं न्या)/2013-14/180

दिनांक- 12.03.2014

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् अपर आयकर आयुक्त, खण्ड-5, को सूचनार्थ ।
2. श्रीमान् सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-5, जयपुर को निर्देश के साथ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति/ट्रस्ट/संस्था द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जा रही है।
3. संबंधित ट्रस्ट /संस्था / समिति।


(सुनील कुमार)
आयकर अधिकारी(त0 एवं न्या0)
कृते आयकर आयुक्त, जयपुर द्वितीय,
जयपुर।